

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अत्यावश्यक
बजट

जयपुर, दिनांक:-

10.3.2014

क्रमांक:- एफ 16 (1) परि/लेखा/बजट/2013-14

अपर परिवहन आयुक्त(प्रशासन)

उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

जिला परिवहन अधिकारी

.....।

विषय:- वर्ष 2013-14 के लिए आवंटित बजट का सदुपयोग एवं आधिक्य/बचत
विवरण पत्र।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय को विभिन्न विभागीय बजट मद/उपमदों में समय-समय पर बजट का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्ति की ओर अग्रसर है। कृपया आपको आवंटित राशि का पूर्ण सदुपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। बजट क्रे रहते हुए उक्त मदों में कोई दावे लम्बित रहते हैं तो आगामी वर्ष में इस हेतु बजट की उपलब्धता कराने का दायित्व मुख्यालय का नहीं होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय से सम्बंधित सभी दावों का निस्तारण करते हुए, आवंटित बजट राशि के विरुद्ध आधिक्य/बचत विवरण पत्र निम्नांकित प्रारूप में, दिनांक 20.03.2014 तक आवश्यक रूप में मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सुरेश सिंघल)

वित्तीय सलाहकार

आधिक्य/बचत विवरण पत्र वर्ष 2013-14

बजट मद/उपमद	आवंटित बजट	वास्तविक व्यय दिनांक 15.03.2014 तक	दिनांक 16.3.2014 से 31.3.2014 (सम्मावित व्यय)	योग(3+4)	आधिक्य/बचत (2-5)
1	2	3	4	5	6
नोट:- आधिक्य की स्थिति में कृपया बकाया दावों का बिल वाइज विवरण संलग्न करें।					